मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भाटापारा

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

हजारी राम बनाम सोहनलाल आदि

दावा बाबत :- specific

मुकदमा नम्बर :- 192/2021

निर्णय दिनांक :- 11.11.2021

वादी की ओर से वकील नरेन्द्र शर्मा की व प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील जयकिशन गोयल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भाटापारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोहिणी गोजा आदि के खाता सं. 226/205 के खसरा सं. 634 की 1.955 हे., खसरा सं. 638/729 की 1.850 हे. कुल 3.805 हे. बारानी खातेदारी मेरी पत्नी स्व. नत्थूराम, सोहनलाल, काशीराम, बउसाराम, दामोदर, धर्मपाल पि० नत्थूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मेरी पत्नी स्व० नत्थूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को बाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये गये है चूंकि प्रतिवादी सं. 5 ता 8 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क वापस करने व यदि कृषि भूमि वाक के रूप हो तो स्वमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में क्रमतबादला किया जावे। राजीनामा की डिक्री का मार्ग पटा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:54:50 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भाटापारा, जिला बलौदाबाजार

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भाटापारा, जिला बलौदाबाजार
कैम्प 2021
कैम्प ..... डाबड़ी

Scanned with CamScanner